फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :–श्री जगदीश बनाम विपक्षी :– श्री हस्तीमल

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 140/22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। राजपक्षकार उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात न. 1079, 1080, 673, 679 में प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1079, 1080 के पड़ोस में विपक्षी संख्या 1 से 5 की भूमि हैं तथा आराजी संख्या 673, 679 के पड़ोस में विपक्षी संख्या 2 से 6 की भूमि हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन नहीं होने से पक्षकारों में विवाद रहता हैं जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 और 3 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि आराजी न. 1080 रकबा 0.1200 हे. प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हें। उपरोक्त आराजी न विपक्षी संख्या 2 से 4 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की हैं जिनके साबिक आराजी 490/1 है.। विपक्षी संख्या 2 से 4 के नाम उक्त आराजी न. का खातेदारी हक में दर्ज कराने हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है इसी तरह आराजी न 673 में विपक्षी संख्या 2 से 4 की अन्य भूमि में आने जाने हेतु सदीप से 15 फिट चोडा रास्ता बना हुआ है जिसका प्रार्थी को अच्छी तरह से ज्ञान हैं। विपक्षी द्वारा आराजी न. 1079, 679 की पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नही जताई। विपक्षी द्वारा आराजी न 1080, 673 की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार हैं जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षी का यह कहना है कि आराजी न. 1079 पर प्रार्थी का नाम गलत रूप से दर्ज हैं इसके संबंध में विपक्षी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे की विपक्षी द्वारा कहे गये तथ्यों की पुष्टि हो। विपक्षी द्वारा यह कथन भी कहा गया कि आराजी न 673 में कदमी रास्ता सदीप से चला आ रहा है जिससे विपक्षीगण आते जाते है। अगर आराजी न. 673 में से कदमी रास्ता है तो कदमी रास्ते की भूमि को छोड कर पत्थरगढी किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार होने व प्रार्थी व विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन नहीं होने से सशर्त पत्थरगढी किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 397 की आराजी न. 1079, 1080, 673, 679 किता 4 रकबा 0.7400 हे. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अगर मौके पर आराजी न. 673 में कदमी रास्ता है तो रास्ते की भूमि को छोड कर पत्थरगढी करें। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:40 IST
Reason: SelfAttested